भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1326
उत्तर देने की तारीख : 19.09.2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में एम॰फिल॰ उपाधियां

†1326. श्री देवजी पटेलः
श्री अर्जुन लाल मीणाः
श्री पी॰पी॰ चौधरी:
श्री कौशल किशोरः
श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में एम॰फिल॰ उपाधियों को समाप्त किये जाने के क्या तर्क हैं;
(ख) क्या यह रोक सभी पाठ्यक्रमों और सभी विषयों में एम॰फिल॰ करने वालों पर लागू होगी;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या स्नातकोत्तर तथा पी॰एच॰डी॰ पाठ्यक्रमों के मध्य सहायक पाठ्यक्रम के रूप में किसी अन्य पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया जायेगा; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.) : शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी, 2020) की 29.07.2020 को घोषणा की है; जिसे शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf. पर उपलब्ध करवाया गया है। एनईपी 2020 में उल्लेख किया गया है कि "एचईआई मास्टर प्रोग्राम के विभिन्न स्वरूप प्रदान करने में लचीलापन बरत सकेंगी: (क) 02 वर्षीय कार्यक्रम हो सकता है जिसका दूसरा वर्ष उन छात्रों के लिए पूर्णतया अनुसंधान को समर्पित होगा जिन्होंने 03 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा कर लिया है; (ख) जो छात्र अनुसंधान के साथ 04 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करते हैं, उनके लिए 01 वर्ष का मास्टर कार्यक्रम हो सकता है; और (ग) 05 वर्षीय एकीकृत स्नातक/मास्टर कार्यक्रम हो सकता है। पी.एचडी करने के लिए या तो मास्टर डिग्री या अनुसंधान के साथ 04 वर्षीय स्नातक डिग्री की जरूरत होगी। एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा"।

*****